न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

वाद संख्या : 128/2013

सूरज उर्फ सूरजमल पुत्र बक्शू जाति माली निवासी सीसवाली तह0 मांगरोल जिला बारां

....वादी

♠ बनाम ♠

1. मांगीलाल पुत्र सीताराम जाति मीणा निवासी नलावदा तह0 पीपल्दा जिला कोटा हाल निवासी नाका चुंगी अन्ता रोड सीसवाली
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादीगण

<u>वाद वास्ते स्थायी निषेधाज्ञा व बेदखली</u>

<u>अन्तर्गत धारा 188/183 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट</u>

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)
वकील वादीगण : श्री महेन्द्र सिंह हाडा
वकील प्रतिवादी : श्री वीरेन्द्र सिंह व श्री भंवर सिंह गौड

निर्णय दिनांक : 09.04.2018

दायरा दिनांकः 10.12.2013

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी को मिसल नं0 368 दिनांक 28.01.1981 को ग्राम सीसवाली तह0 मांगरोल जिला बारां में खसरा नं0 1571 मिन रकबा 2 बीघा उपनिवेशन विभाग द्वारा 350 रू0 की कुल कीमत पर आवंटन किया गया था। खसरा नं0 1571 मिन काफी बडा रकबा था, उक्त रकबे में से 2 बीघा का टुकडा नापकर वादी को दखल दिया गया और साबिक खसरा नं0 नापे हुए रकबे का 1571/5 दर्ज किया गया, जिसके हाल मिलान क्षैत्रफल में खसरा नं0 1802 रकबा 0.32 है0 बारानी तृतीय दर्ज किये गए। वादी को आवंटन करने के बाद गवाहान के समक्ष दखलनामा दिनांक 22.02.1981 को मौके पर जाकर हल्का पटवारी व हल्का कानूनगो द्वारा दिया गया और वादी दखल देने के बाद आराजी पर विधिवत काबिज होकर काश्त करने लगा। उक्त आवंटन तहसीलदार मांगरोल के प्रार्थना पत्र पर दिनांक 31.01.2006 को वादी का आवंटन खारिज कर दिया गया। लेकिन मौके पर वादी का कब्जा बदस्तूर आवंटन तिथि 1981 से आज तक मौके पर लगातार चला आ रहा है। वादी ने जिला कलक्टर बारां के निर्णय व आदेश दिनांक 31.01.2006 के विरूद्ध न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व प्राधिकारी कोटा के समक्ष अपील पेश की उक्त वादी की अपील दिनांक 12.07.2010 को न्यायालय ने स्वीकार करते हुए जिला कलक्टर बारां का निर्णय दिनांक 31.01.2006 खारिज कर दिया। खारिज होने के पश्चात वादी पुनः आवंटित आराजी पर गैर खातेदार कृषक बन चुका है। प्रतिवादी जबरन रंजिश वश वादी की आराजी खसरा नं0 1802 रकबा 0.32 है0 वाके माल सीसवाली पर कब्जा करना चाहता है। अपने उद्देश्य की पूर्ति

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रतिवादी नं0 1 ने दिनांक 01.12.2013 को नीवं खोदकर वादी की आराजी पर कब्जा कर लिया है। एवं [illegible] कर दिया है। इसलिए वादी के लिए यह आवश्यक हो गया है कि प्रतिवादी नं0 1 के की अपनी आराजी के लिये स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करें और 12 फीट जो कब्जा किया है नींव खोदकर से बेदखल करावे। अतः निवेदन है कि वादी के कब्जे काश्त की आराजी खसरा नं0 1802 रकबा 0.32 बीघा वाके सीसवाली तहसील मांगरोल में अनाधिकृत रूप से दखलअंदाजी न करें बलपूर्वक मकान न बनावें वादी को शांतिपूर्वक काश्त करने देवें। प्रतिवादी कम 1 द्वारा 12 फुट आराजी पर 50 फीट की लम्बाई में जो कब्जा किया है उक्त रकबे में प्रतिवादी कम 1 को बेदखल किया जाकर कब्जा वादी को सम्भलाया जावे।

उक्त आशय का वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 10.12.2013 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी कम 1 को जर्ये रजिस्टर्ड सम्मन तलब किया गया जिसकी प्राप्ति रसीद शामिल फाईल है। प्रतिवादी कम 1 की ओर से अधिवक्ता श्री वीरेन्द्र सिंह व श्री भंवर सिंह गौड ने वकालत नामा प्रस्तुत किया। अधिवक्ता श्री वीरेन्द्र सिंह ने प्रतिवादी कम 1 की ओर से दिनांक 24.02.2014 को जवाब दावा प्रस्तुत किया। जवाब दावा में प्रतिवादी कम 1 ने अंकन किया किः–

1. यह है कि वाद पत्र की मद नं0 1 स्वीकार है।
2. यह है कि वाद पत्र की मद नं0 2 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है।
3. यह है कि वाद पत्र की मद नं0 3 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। वादी का विवादित आराजी पर कभी कब्जा नही रहा क्योकि विवादित आराजी के वादी ने प्लाट बनाकर भिन्न–भिन्न व्यक्तियों को बेचान कर दिये है। अतिरिक्त कथन विशेष आपत्तियों में दर्ज है।
4. यह है कि वाद पत्र की मद नं0 4 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। सही तथ्य इस प्रकार है कि आदेश दिनांक 12.07.2010 भूप्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अधिकारी कोटा के निर्णय का अमल दरामद नहीं होने के कारण उक्त आराजी सिवायचक दर्ज है। वादी उक्त आराजी का कृषक दर्ज नही होने के कारण विधि के प्रावधानो के अनुसार धारा 188, 183 के अन्तर्गत न्यायालय श्रीमान के समक्ष वाद पेश करने का अधिकारी नही है। धारा 188, 183 के अन्तर्गत मात्र खातेदार ही वाद प्रस्तुत करने का अधिकारी है।
5. यह है कि वाद पत्र की मद नं0 5 अस्वीकार है।
6. यह है कि वाद पत्र की मद नं0 6 अस्वीकार है। सत्य तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा अपनी सेटलमेंट से पूर्व की भूमि खसरा नं0 1571/5 में से 50 फीट लम्बी एवं 40 फीट चौडी मदन लाल पुत्र कल्याणमल मीना निवासी तिकोद एवं प्रतिवादी मांगीलाल पुत्र सीताराम मीना निवासी

मदनलाल को 2000 रू0 जमीन 10000 रू0 में बेंचान कर दी है जिसकी चतुर्थ सीमाऐं–पूरब में:– रामचन्द्र कुमार व रंगलाल कुम्हार का प्लाट, पश्चिम में:– सूरजमल पुत्र बक्सू माली स्वयं वादी जमीन, उत्तर में:– सूरजमल पुत्र बक्सू माली स्वयं वादी एवं दक्षिण में:– सडक ढीबरी अंता यह बेचाननामा रू0 5 के स्टाम्प पर रूबरूगवाहान बलराम, भंवरलाल के समक्ष रामकिशन के द्वारा दिनांक 14.10.1990 को लिखने के पश्चात सूरजमल वादी द्वारा हस्ताक्षर किये गये। विशेष विवरण विशेष आपत्तियों में दर्ज है।

7. यह है कि वाद पत्र की मद नं0 7 अस्वीकार है।
8. यह है कि वाद पत्र की मद नं0 8 अस्वीकार है। वादी को कोई वाद कारण उत्पन्न नही हुआं है। कब्जा खरीद दिनांक से प्रतिवादी कम 1 का चला आ रहा है।
9. यह है कि वाद पत्र की मद नं0 9 व 10 कानूनी है।

प्रतिवादी कम 1 के अधिवक्ता श्री वीरेन्द्र सिंह ने अपने जवाब दावा में विशेष कथन का अंकन निम्नानुसार किया कि:–

01. यह है कि वादी ने खसरा नं0 1571 रकबा 2 बीघा मे से खसरा नं0 1571/5 की भूमि 50 फीट लम्बी व 40 फीट चौडी अक्षरे 10000 रू0 में दिनांक 14.10.1990 को मदन लाल एवं प्रतिवादी मांगीलाल को बेचान कर दिया है उसी समय कब्जा हटाकर मदनलाल एवं प्रतिवादी मांगीलाल को संभला दिया है चतुर्थ सीमाऐं इस प्रकार है पूरब में:– रामचन्द्र कुमार व रंगलाल कुम्हार का प्लाट, पश्चिम में:– सूरजमल पुत्र बक्सू माली स्वयं वादी जमीन, उत्तर में:– सूरजमल पुत्र बक्सू माली स्वयं वादी एवं दक्षिण में:– सडक ढीबरी अंता यह बेचाननामा रू0 5 के स्टाम्प पर रूबरूगवाहान बलराम, भंवरलाल के समक्ष रामकिशन के द्वारा दिनांक 14.10.1990 को लिखने के पश्चात सूरजमल वादी द्वारा हस्ताक्षर किये गये। तप्तश्चात मदनलाल उक्त वर्णित भू–खण्ड में से आधे भूखण्ड पर मकान बनाकर रहने लगा। शेष भूमि पर प्रतिवादी ने दो घर कच्चे बनाकर एवं उसके आगे छपरा बनाकर मय परिवार के रहने लगा। प्रतिवादी के परिवार का राशन कार्ड भी सीसवाली का उक्त पते का बना हुआ है एवं शेष बची भूमि पर प्रतिवादी द्वारा बाउण्ड्री वाल कर दी गई थी। तथा प्रतिवादी द्वारा बोरिंग भी हो रही है। प्रतिवादी के पास उस समय पैसे नही थे इस कारण पक्का निर्माण नही करवा सका था। इस वर्ष अधिक बरसात होने के कारण प्रतिवादी का कच्चा कमान क्षतिग्रस्त होने के कारण नीवे खोद कर नया निर्माण करवा रहा है।
02. वादी का ऐतराज प्रतिवादी द्वारा किये जा रहे निर्माण की दक्षिण दिशा बाबत है जबकि वादी द्वारा बेचानशुदा भूखण्ड की चतुर्थ सीमा में अंकित किया गया है कि दक्षिण दिशा में सडक ढीबरी–अन्ता

अंकन किया है। इन बेचाननामे से यह स्पष्ट हो जाता है कि वादी की कोई भूमि दक्षिण दिशा में तक नहीं आती है। वादी के नीयत में बेईमानी आने के कारण अदालत के जर्ये अनैतिक दबाव अलावा वादी, अप्रार्थी से और पैसो की मांग कर रहा है। जबकि प्रतिवादी भूखण्ड की एक मुश्त रकम अदा कर चुका है।

[illegible] वादी ने उक्त दावा धारा 188, 183 आर0टी0एक्ट0 के अन्तर्गत न्यायालय में पेश किया है। विधि के प्रावधानो के अनुसार उक्त धाराओ में सिर्फ खातेदार ही वाद प्रस्तुत कर सकता है।

अतः जवाब दावा पेश कर श्रीमान से निवेदन है कि वादी का वाद–पत्र हर्जे खर्चे रू0 10000 पर खारिज करने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

प्रतिवादी कम 2 तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) जो की राज्य सरकार का पैरोकार है कि रिपोर्ट ली गयी। तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) ने अपनी रिपोर्ट कमांक/भू0अ0/2017/48 दिनांक 08.06.2017 में अंकन किया कि जमाबंदी सम्वत 2069–72 में खाता सं0 1 में खसरा नं0 1802 रकबा 0.32 है0 भूमि सिवायचक दर्ज खाता है। मुताबिक जमाबंदी सम्वत 2061–64 में खाता संख्या 1042 के खसरा नं0 1802 रकबा 0.32 है0 भूमि सूरज्या पुत्र बक्शु कौम माली गैर खातेदारी दर्ज है परन्तु नामा0 846 दिनांक 17.10.2006 से उक्त खसरा नं0 1802 रकबा 0.32 सिवायचक दर्ज हुई। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल के अनुसार

हाल		साबिक	
खसरा नं0	रकबा	खसरा नं0	रकबा
1802	0.32 है0	1571 मि0/5	2 बीघा

प्रार्थी द्वारा बताया गया की दिनांक 31.01.2006 को मेरा आवंटन श्रीमान जिला कलक्टर महोदय बारां द्वारा खारिज कर दिया गया परन्तु आर0ए0ए0 कोटा द्वारा दिनांक 16.10.2009 को श्रीमान जिला कलक्टर महोदय बारां के निर्णय दिनांक 31.01.2006 को अपास्त कर उक्त आवंटन को बहाल रखा गया है।

पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन व मनन किया गया। प्रकरण के संबंध में अधिवक्ता वादी व अधिवक्ता प्रतिवादीगण की दिनांक 09.04.2018 को बहस सुनी गयी। वादी के अधिवक्ता श्री महेन्द्र सिंह हाडा व प्रतिवादी के अधिवक्ता श्री वीरेन्द्र सिंह ने अपनी–अपनी बहस में उन्ही तथ्यो को दोहराया है जिसे उन्होने कमशः अपने दावा व जवाब दावा में अंकन किया है। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो, प्रदर्शो एवं सुनी गयी बहस पर मनन किया गया। तहसीलदार मांगरोल जो कि लैण्ड होल्डर है एवं राज्य सरकार का पैरोकार है ने अपनी रिपोर्ट में अंकन किया है कि ग्राम सीसवाली की आराजी खसरा नं0 1802 रकबा 0.32

नामान्तकरण संख्या 846 दिनांक 17.10.2006 से सिवायचक खाता राज्य सरकार दर्ज है जिस पर वादी एवं प्रतिवादी कम 1 केवल अतिकमी की हैसियत से काबिज है एवं प्रतिवादी कम 1 ने अपने जवाब दावा में अंकन किया है कि आराजी खसरा नं0 1802 रकबा 0.32 है0 पर अन्य कई सारे मकान व भूखण्ड स्थित है जबकि उक्त आराजी ग्राम सीसवाली की आराजी खसरा नं0 1802 रकबा 0.32 है0 वर्तमान में खाते राज्य सरकार सिवायचक खाता दर्ज है। अतः तहसीलदार मांगरोल को आदेश दिये जाते है कि ग्राम सीसवाली की आराजी खसरा नं0 1802 रकबा 0.32 है0 पर अतिकमी की हैसियत से काबिज समस्त व्यक्तियों को सूचीबद्ध कर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 91 कि तहत बेदखली की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.04.2018 को सरेइजलास मजमेंआम में सुनाया गया।